

मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

क्रमांक एफ-1-15/2012/1/34 : राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित कार्यपालन यंत्री (सिविल) को अधीक्षण यंत्री (सिविल) के पद पर स्थानापन्न रूप से वेतन पी.बी.-3 वेतनमान रूपये 15600-39100/- + ग्रेड पे 7600/- में पदोन्नत करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उनके नाम के सम्मुख (कालम क्र. 3) दर्शाये रिक्त स्थानों पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है :-

स.क्रं.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	अधीक्षण यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापना
1	2	3
1	श्री विमल कुमार सोनी, कार्यपालन यंत्री कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, भोपाल	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति पर
2	श्री शकील अहमद खान, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, बैतूल	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
3	श्री विद्याधर विष्णु राजवाड़े, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, रतलाम	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति पर
4	श्री ए०के०मिश्रा, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, खरगौन	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर सौंपते हुए ए.डी.व्ही. परियोजना इंदौर में श्री वीरेन्द्र शिन्दे की दिनांक 31.12.2012 को सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पद पर
5	श्री राजेन्द्र कुमार जैन, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, बुरहानपुर	म०प्र०जल निगम, मर्या० में सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर सौंपते हुए परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ग्वालियर
6	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री कार्या०-मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र इंदौर	कार्या०-मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र, ग्वालियर
7	श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री, नगर निगम, जबलपुर	म०प्र०जल निगम, मर्या० में सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर सौंपते हुए परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर

2/ मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है ।

3/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 9 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी ।



4/ प्रमाणित किया जाता है कि "मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक-21, सन, 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,

(पी०के०ठाकुर)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

पृ०क्रमांक एफ-1-07/2012/1/34,  
प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
  2. निज सचिव, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल।
  3. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
  4. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, म०प्र० भोपाल।
  5. प्रबंध संचालक, म०प्र० जल निगम, भोपाल।
  6. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल।
  7. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र, भोपाल/ग्वालियर/इंदौर/जबलपुर / (वि/या.) भोपाल।
  8. संबंधित अधिकारी .....
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. स्टॉक फाईल।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

31/12/12

मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

क्रमांक एफ-1-04/2009/1/34 : राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री एस0एल0चौधरी, कार्यपालन यंत्री (सिविल) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अधीक्षण यंत्री (सिविल) के पद पर वेतन पी.बी.-3 वेतनमान रूपये 15600-39100/- + ग्रेड पे 7600/- में पदोन्नत करते हुए सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सौंपी जाती है ।


2/ श्री एस0एल0चौधरी, कार्यपालन यंत्री (सिविल) को अधीक्षण यंत्री (सिविल) संवर्ग में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के आधार पर उनसे कनिष्ठ श्री संजय कुमार, कार्यपालन यंत्री (सिविल) को अधीक्षण यंत्री (सिविल) के पद पर दी गई पदोन्नति दिनांक 22.9.2009 से "कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धान्त" के आधार पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है ।

3/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम-9 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी ।

4/ मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है ।

5/ प्रमाणित किया जाता है कि "मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक-21, सन, 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,


  
( पी0क0ठाकुर )  
उप सचिव

31/12/12  
मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक एफ-1-04/2009/1/34,  
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल ।
  2. निज सचिव, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
  3. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
  4. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, म0प्र0 भोपाल ।
  5. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ।
  6. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र, भोपाल/ग्वालियर/इंदौर/जबलपुर  
(वि/यां.) भोपाल ।
  7. संबंधित अधिकारी .....
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. स्टाक फाईल ।

  
(भार. स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग)  
अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग